उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक 3097 **/ उ0आ0वि0 / काउन्सलिंग / 2016–17** **दिनांक :** 23 **नवम्बर, 2016**

यू0ए0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 एम0डी0 / एम0एस0 (आयुर्वेद) में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग सूचना

(आंशिक संशोधन)

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या : 2951 / उ0आ0वि0 / काउन्सलिंग / 2016–17 दिनांक 16 नवम्बर, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित शर्ते समावेश की जाती है :–

1. यू0ए0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 की काउन्सलिंग दिनांक 26 नवम्बर, 2016 के स्थान पर दिनांक 27 नवम्बर, 2016 (रविवार) को प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक पंजीकरण एवं अपरान्हः 12:00 बजे से पाठ्यक्रमानुसार कॉलेजवार सीटों का आंवटन किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालय की द्वितीय काउन्सलिंग में सम्मिलित होने वाले वर्तमान / नवीन सरकारी / निजी आयुर्वेदिक एम0डी0 / एम0एस0 (आयुर्वेद) संस्थान जिन्हें आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है या की जानी सम्भावित है, में 01 सीट विस्थापित कश्मीरी अभ्यर्थी से भरी जायेगी, यदि काउन्सलिंग समाप्त होने तक कश्मीरी वर्ग का अभ्यर्थी काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं होता है तो उक्त सीट को सामान्य वर्ग से भर दिया जायेगा।

3. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2015 की धारा–25(2) में उल्लखित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के ऋषिकुल / गुरूकुल परिसर (भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होने की दशा में) मात्र बढ़ी हुई सीटों के 50 प्रतिशत सीटें (अन्य राज्य हेतु) स्ववित्तपोषित आधार पर भरी जायेगी, जिसका शिक्षण शुल्क **रू0 2,50,000.00 प्रतिवर्ष (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)** होगा।

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर में प्रथम काउन्सलिंग में किसी भी विषय में अखिल भारतीय कोटे की सीट प्राप्त कर ली है, यदि वह अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सलिंग में प्रतिभाग करता है तथा स्ववित्तपोषित सीट लेना चाहता है तो वह अभ्यर्थी स्ववित्तपोषित आधार पर निर्धारित शुल्क ही विश्वविद्यालय में जमा करेगा।

5. द्वितीय काउन्सलिंग के समाप्ति उपरान्त एस0सी0 / एस0टी0 / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य रिक्त रह गयी सीटों को सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।

6. काउन्सलिंग की समाप्ति के उपरान्त यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उक्त रिक्त रह गयी सीटों पर विश्वविद्यालय में काउन्सलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन किये गये अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाकर मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची सम्पूर्ण सीटों का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में प्राथमिकता दी जायेगी।

7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउन्सलिंग में प्रतिभाग कर सरकारी/निजी सीटों में प्रवेश ले लिया है, यदि वे अभ्यर्थी किसी अन्य सरकारी/निजी आयुर्वेद कॉलेज/विषय में प्रवेश लेना चाहता है तो वह अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सलिंग में पुनः प्रतिभाग करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा। **उक्त अभ्यर्थी की सीट तभी रिक्त मानी जायेगी जब उस अभ्यर्थी को अन्य कॉलेज/विषय में सीट आवंटित हो जायेगी।**

8. द्वितीय काउन्सलिंग में पंजीकृत अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी सीट/विषय हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

9. काउन्सलिंग के समय तक जिन कॉलेजों/संस्थानों की मान्यता आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय में सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण होने की दशा में काउन्सलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।

10. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऋषिकुल/गुरूकुल परिसर में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) पद धारक नहीं हैं, के संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे शिक्षकों को एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) डिग्री प्राप्त कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसरों में जहॉ एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम संचालित है में 01–01 सीट आरक्षित की जायेगी तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों जहॉ एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) संचालित है, में भी 01–01 सीट आरक्षित की जायेगी। ऐसे शिक्षकों को प्रवेश परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी, परन्तु ऐसे शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्ववित्तपोषित सीटों का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त विश्वविद्यालय में अपनी 05 वर्ष की सेवायें देनी अनिवार्य होगी। ऐसे शिक्षकों को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उक्त सीटों में शिक्षक प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रवेश व्यवस्था यथावत रहेगी।

11. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में सम्बद्ध/कार्यरत ऐसे चिकित्साधिकारी एवं राज्य में अवस्थित आयुर्वेद चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारी जो एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) पद धारक नहीं हैं, के संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे चिकित्साधिकारियों को एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) डिग्री प्राप्त कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के परिसरों में जहॉ एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम संचालित है में 01–01 सीट आरक्षित की जायेगी तथा

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों जहॉ एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) संचालित है, में भी 01–01 सीट आरक्षित की जायेगी। ऐसे चिकित्साधिकारियों को प्रवेश परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी, परन्तु ऐसे चिकित्साधिकारियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्ववित्तपोषित सीटों का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे चिकित्साधिकारियों को शासन स्तर से प्रवेश से पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे चिकित्साधिकारियों को डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त विश्वविद्यालय/राज्य सरकार में अपनी 05 वर्ष की सेवायें देनी अनिवार्य होगी। ऐसे चिकित्साधिकारियों को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उक्त सीटों में अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रवेश व्यवस्था यथावत रहेगी।

12. काउन्सलिंग के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। पुराने 1000 एवं 500 के नोट स्वीकार्य नहीं होगें।

13. शेष सभी शर्तें की पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।

सदस्य सचिव
यू0ए0पी0एम0टी0–2016 प्रवेश काउन्सलिंग बोर्ड